

(भाग-1)

18. सुदृढता (यदि प्राचीन इत्यादि रमका यदि लागू)

02/08/14

विषय पत्र या प्रारंभिक कार्य प्रस्तुत करने का दिनांक

प्रस्तुतकर्ता या प्राचीन का नाम श्रीमति विद्या देवी

विषय का प्रकार

प्रतिक्रम की अवधि 100 दिन

- 1-प्रिन्टीकरण शुल्क 3500000
- 2-प्रतिनिधिकरण शुल्क 0
- 3-निरीक्षण या मूलांक शुल्क 5000000
- 4-मुद्रणरत्ना के प्रतिप्रमाणकरण शुल्क
- 5-कमोशन शुल्क
- 6-वकिप
- 7-वकिप

196 तक का योग

शुल्क प्रस्तुत करने का दिनांक

दिनांक, जब प्रिन्ट प्रतिष्ठापना या प्रिन्टिंग शुरू

लागू करने के लिए प्रस्ताव किया

प्रिन्टीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

50000

14/69

2 2436



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

398895



श्री गणेशाय नमः
लेखपत्र का विवरण

मालियत- 35,88,290/-
वेब स्टाम्प- 2,85,000/-
भूमि किस्म/विशिष्ट ग्राम
दानकर्तृगण व दानगृहीतागण अनुसूचित जाति के नहीं है।



अरुण कौर
असिता कौर
मनिमोहिनी
मनिमोहिनी

Ambalika Welfare Foundation



अरुण कौर
Chairman

Ambalika Welfare Foundation



रम जिजा
Vice Chairperson

आम्बालिका कोशिका, अम्बालिका

दिनांक 1/01/2023

पूरा 28900

नाम अम्बालिका कोशिका

द्वारा

सचिव

पूरा

28900

अम्बालिका कोशिका - 25582904

5000-00 1000 9.4 1000 5000

आम्बालिका कोशिका अम्बालिका
अम्बालिका कोशिका अम्बालिका
अम्बालिका कोशिका अम्बालिका
अम्बालिका कोशिका अम्बालिका

आम्बालिका कोशिका अम्बालिका

अम्बालिका कोशिका अम्बालिका

अम्बालिका कोशिका अम्बालिका

अम्बालिका कोशिका अम्बालिका

अम्बालिका कोशिका अम्बालिका

अम्बालिका कोशिका अम्बालिका

अम्बालिका कोशिका अम्बालिका

अम्बालिका कोशिका अम्बालिका

अम्बालिका कोशिका अम्बालिका

अम्बालिका कोशिका अम्बालिका

अम्बालिका कोशिका अम्बालिका

अम्बालिका कोशिका अम्बालिका

अम्बालिका कोशिका अम्बालिका

Ambalika Welfare Foundation

Ambalika Welfare Foundation



आदर्श कौशल, लखनऊ

दिनांक 1/12
पुस्तक संख्या
नाम
वारा

पदाधिकारी

पुस्तक-संख्या

2019/19

पुस्तक संख्या 11 - राम गोपाल सिन्हा - 2019
पुस्तक की संख्या 1000 - लखनऊ
दिनांक 1/12/2019
पुस्तक संख्या 1000 - लखनऊ
दिनांक 1/12/2019

पुस्तक संख्या 1000
दिनांक 1/12/2019

Ambalika Welfare Foundation



Chairman

Ambalika Welfare Foundation

2019/19

Vice Chairperson



पुस्तक संख्या 1000

पुस्तक संख्या 1000



पुस्तक संख्या 1000

2019/19



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

398897

(3)

घ. चौहददी




पूरव : जनपदीय मार्ग मोहनलालगंज - मौरावा
पश्चिम : गाटा सं० 1292 व 1293 कादि
उत्तर : अहमदखोचा मौरावा लिंक मार्ग
दक्षिण : गाटा सं० 1210 व 1294 कादि



Ambalika Welfare Foundation


Chairman



Ambalika Welfare Foundation


Vice Chairperson

कोषागार, लखनऊ

दिनांक 11/12/17
पुस्तक संख्या 3877

नाम श्री श्री 11/12/17
प्राप्त श्री श्री 11/12/17
पुस्तक संख्या 3877

पुस्तक संख्या

पुस्तक संख्या

11/12/17





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

398898

(4)

दान - विलेख



यह दान विलेख आज दिनांक 02.08.07 को अम्बिका मिश्रा पुत्र बृजेश चन्द्र मिश्रा (बृजेश्वरी मिश्रा) निवासी-353, राजेन्द्र नगर, लखनऊ, वर्तमान पता : उत्तर गांव, परगना-निगोडा, तहसील मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ, 2 श्रीमती मधुलिका बाजपेई पत्नी के०के० बाजपेई निवासी-25 आ३०डी०एस०ओ० कालोनी, लखनऊ, वर्तमान पता : उत्तरगांव, परगना-निगोडा, तहसील मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ 3 श्रीमती गीनाक्षी दीक्षित पत्नी सुधीर दीक्षित निवासी: एम०- 12 महानगर, लखनऊ हाल पता उत्तरगांव लखनऊ 4 मृणालिनी पाण्डेय पत्नी आ३० के० पाण्डेय द मातृश्री अम्बिका मिश्रा पुत्री बृजेश्वरी मिश्रा निवासीगंगा उत्तरगांव, परगना-निगोडा, तहसील-मोहनलालगंज, जिला -लखनऊ (जिन्हें आगे संयुक्त रूप से प्रथम पक्ष दानकर्तागण कहा गया है) अम्बालिका वेलफेयर फाउन्डेशन ट्रस्ट, कार्यालय अम्बालिका बिल्डिंग, सुगाण मार्ग, चारबाग, लखनऊ द्वारा ट्रस्टी चैयरमैन बृजेश चन्द्र मिश्रा पुत्र स्वा०मी० एन० मिश्रा व ट्रस्टी वाइस चैयरपरसन श्रीमती रमा मिश्रा पत्नी बृजेश्वरी मिश्रा निवासी 11, थिमैया रोड, कौन्ट, लखनऊ (जिन्हें आगे संयुक्त रूप से द्वितीय पक्ष / दानगृहीता कहा गया है) के पक्ष में निष्पादित किया गया।

[Handwritten signature]

neg. Anand
Secretary
merinalini
mgmishra

Ambalika Welfare Foundation

[Handwritten signature]
 Chairman

Ambalika Welfare Foundation

[Handwritten signature]
 Vice Chairperson

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 1/8/17

सूच्य 78000

मास

वारा

कर्मचारी का वी. का. प्रमाण पत्र १३

पहले से दिनांक

सूच्य से दिनांक

1/8/17





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

398899

(5)

उपरोक्त ट्रस्ट उपनिबंधक, प्रथम, लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 20/07/2007 पृष्ठ सं 384 -4 खण्ड 384 पृष्ठ सं 131/180 पर कन संख्या 182/07 पर पंजीकृत है। यह कि भूमि स्थित ग्राम - उत्तरगांव, भरना निगोहा, तहसील-मोहनवाला, जिला - लखनऊ, गाटा सं : 1211 रकबा 0.076 हे०, 1219 रकबा 0.708 हे०, 1220 रकबा 0.177, 1221 रकबा 0.083 हे०, 1222 रकबा 0.253 हे०, 1223 रकबा 0.177 हे०, 1279 रकबा 0.407, 1289 रकबा 0.291 हे०, 1290 रकबा 0.114 हे०, 1291 रकबा 0.063 हे०, 1212 रकबा 0.022 हे०, 1281 रकबा 0.202 हे०, 1284 रकबा 0.215 हे०, 1285 रकबा 1.417 हे०, 1280 रकबा 0.215 हे०, 1287 रकबा 0.645 हे०, कुल 16 किता, कुल रकबा : 5.007 हे०, के प्रथम पक्ष मालिक, शामिल व काबिल है



Ambalika Welfare Foundation

Chairman

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Mrs. Anshu K. Mishra]
[Handwritten signature: Mrs. Anshu K. Mishra]

Ambalika Welfare Foundation

Vice Chairperson

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

398900

(6)



2. यह है कि उपरोक्त भूमि विक्रेता गण ने दृजरिये बानामा कय किया था कि जिनके अन्तर्गत खारिज राजस्व अभिलेखों में बतौर संकनगीय गृहिकर दर्ज है ।
3. यह कि उपरोक्त भूमि इस समय तक कही रहन, बय, हिबा, बन्धक, गिरवी आदि नहीं है और समस्त प्रकार के भारों से मुक्त एवं फल साफ है ।
4. यह कि द्वितीय पक्ष एक सामाजिक संस्था अम्बालिका वेलफेयर फाउन्डेशन ट्रस्ट द्वारा राष्ट्र को अन्य विकासशील राष्ट्रों के समकक्ष पहुँचाने के उद्देश्य से शिक्षा के विकास हेतु विज्ञान विधि, चिकित्सा तथा तकनीकी विज्ञान, प्रबंधन, वी एवं सामाजिक कल्याण की गतिविधियों तथा राष्ट्र के शिक्षा के माध्यम विकास हेतु ट्रस्ट की स्थापना की गयी है । प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के उद्देश्यों की पूरी जानकारी करने के पश्चात वह अपनी भूमि को द्वितीय पक्ष ट्रस्ट के उद्देश्यों से सहमत होकर प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को उपरोक्त भूमि को दान कर दिया और द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त भूमि का दान स्वीकार कर लिया है । तथा कब्जा व स्वामित्व आज की तिथि से द्वितीय पक्ष को बखूबी करा दिया ।
5. यह कि अब उपरोक्त दान शुदा भूमि से प्रथम पक्षगण, उनके विधिक उत्तराधिकारियों का कोई हक, स्वत्व व अधिकार बाकी नहीं रहा न ही कोई हक व अधिकार बाकी रहा यदि कोई अपना हक, स्वत्व व अधिकार जाहिर करे तो वह गान्धार्यज होगा ।

[Handwritten signature]

*मन्वला मी
Santosh Mishra
मन्वला मी
Munali*

Ambalika Welfare Foundation

[Handwritten signature]
Chairman

Ambalika Welfare Foundation

[Handwritten signature]
Vice Chairperson

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 1/8/17

पृष्ठ 2000

प्रादा

पदा

मुख्य लेखिका

Handwritten signature and text in Hindi, including the word 'मरण' (Maraṇ).





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

398901



(7)

6. यह कि उपरोक्त दान शुदा भूमि जनपदीय नगर मोहनलाल नगर, प्र. प्र. रो. के अंतर्गत है, किन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है।

7. यह कि उपरोक्त दान शुदा भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा - पक्का निर्माण नहीं है।

8. यह कि उपरोक्त दान शुदा भूमि नगर निगम सीमा लखनऊ से बाहर है और यह भूमि भूमि है जिस पर वर्तमान समय में खेती बागवानी हो रही है। दानशुदा भूमि विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत है। श्रीमान जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा मु० 4,70,000 / रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से रकबा 5.007 हे० भूमि की तालिमग मु० 23,53,290 / रुपये होती है। उपरोक्त भूमि के 200 मी० की त्रिज्या में कोई आवासीय गतिविधियां नहीं है। उपरोक्त भूमि में खसरा सं० 1211 में यूकेलिप्टस के 5 पेड़, 1219 में आम के 52 पेड़, 1220 में आम के 22 पेड़, 1221 में आम के 8 पेड़, 1222 में आम के 20 पेड़, 1223 में आम के 15 पेड़, 1279 में आम के 47 पेड़, 1289 में आम के 5 पेड़, 1290 में आम के 2 पेड़, 1291 में 6 पेड़ आम के, 1212 में आम के 2 पेड़, 1281 में आम के 10 पेड़, 1284 में आम के 4 पेड़, 1285 में आम के 10 पेड़, 1280 में आम के 32 पेड़, 1287 में आम के 60 पेड़, कुल आम के 295 पेड़ तथा यूकेलिप्टस के 5 पेड़, इस प्रकार कुल पेड़ों की संख्या 300 है। उपरोक्त आम के पेड़ों में 245 पेड़ 5 वर्ष से अधिक हैं जिनकी कीमत 4000 / रु प्रति पेड़ की दर से मु० 9,80,000 / रु तथा 50 पेड़ 5 वर्ष से कम हैं। जिनकी कीमत 2000 / रु प्रति पेड़ की दर से मु० 1,00,000 / रु होती है।

[Signature]

*neg. Asstt
Sankar Dasgupta
Muralidhar
Muralidhar*

Ambalika Welfare Foundation

[Signature]
Chairman

Ambalika Welfare Foundation

[Signature]
Vice Chairperson

जादश कोषागार, लखनऊ

दिनांक 1/12/12

सूत्र 1800

नाम

द्वारा 30/1/12

पदाधिकारी

मुख्य रोकथाम

लेखक का नाम 30/1/12
मामाम





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

398902

(8)



तथा युकेलिप्टन के 5 पेड़ जिनकी कीमत 5,000 प्रति पेड़ की दर से मूल्यांकित की जाती है। तथा 2 द्यूबवेल जिनकी कीमत 50,000/- प्रति द्यूबवेल पर मूल्यांकित की जाती है। अतः इस प्रकार उपरोक्त दान शुदा भूमि में स्थित पेड़ों की व द्यूबवेल की मूल्यांकित मूल्य 12,05,000 /रु होती है तथा दान शुदा भूमि की मालिकता 23,53,290/- रु होती है। कुल पेड़ द्यूबवेल व भूमि की मालिकता 35,58,290/-रु होती है। जिस पर 8 प्रतिशत की दर से मूल्य 2,85,000/रु का जगरत रूपाय जुदा किया जा रहा है।

9. यह कि उपरोक्त दान शुदा भूमि का दाखिल खारिज द्वितीय पक्ष सरकारी कामजातों में अपने नाम अंकित करा जावे।

10. यह कि उपरोक्त दान शुदा भूमि से संबंधित समस्त हक, हकूक, स्वत्व संबंधी अधिकार प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को अनारिक्तकर दिये हैं। लिहाजा यह दान विलेख शुदा सोच समझकर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के समस्त गवाहान निष्पादित कर दिया ताकि समद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

[Handwritten signature]

*Secretary
Ambalika Welfare
Foundation
Lucknow*

Ambalika Welfare Foundation

[Handwritten signature]
Chairman

Ambalika Welfare Foundation

[Handwritten signature]
Vice Chairperson

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 18/7


मूल्य १४००/-

प्राप्त का. सं. १०००

आदर्श कोषागार

मुख्य सेक्रेटरी

से नमस्ते १५/७/००
Ompr





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

398903

(9)

विरासत विवरण दान शूदा सम्पत्ति स्थित उत्तर गांव परगना- निगाह (गिरवाला गांव) जिला

खातेदार का नाम	खाता सं०	खसरा सं०	रकम
1. श्रीमती मधूलिका बाजपेई पत्नी के०के० बाजपेई	411	1219	
		1220	0.177 हे०
2. श्रीमती मीनाक्षी दीक्षित पत्नी सुधीर दीक्षित		1221	0.063 हे०
		1222	0.253 हे०
		1223	0.177 हे०
		1279	0.407 हे०
		1290	0.114 हे०
		1291	0.063 हे०
		खाता सं० 412	1289
खाता सं० 358-1/2 भाग	1211	0.076 हे०	



[Handwritten signature]

*महोदय
श्रीमती मीनाक्षी दीक्षित
मुरादपुर
गुमना*

Ambalika Welfare Foundation
[Handwritten signature]
Chairman

Ambalika Welfare Foundation
[Handwritten signature]
Vice Chairperson

भादश कोवागार, लखनख

दिनांक 1/11

सूत्र

द्वारा

महाराज

मुख्य रोगविद्वान्

श्री श्री केशव प्रसाद





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

398904

(10)

अम्बिका प्रसाद मिश्रा पुत्र श्री सी० मिश्रा	खाता सं० 8	1280	
		1212	
	खाता सं० 9	1267	
1. मालविका मिश्रा पुत्री श्री सी० मिश्रा	खाता सं० 453	1285	
2. अम्बिका मिश्रा पुत्र श्री सी० मिश्रा	खाता सं० 12	1281	0.215 ₹०
3. मधुलिका बाजपेई पत्नी कै० कै० बाजपेई		1284	0.215 ₹०
4. नीमश्री दीक्षित पत्नी सुधीर दीक्षित			
5. मृणालिनी पाण्डेय पत्नी आर० कै० पाण्डेय			



दाम्पत्यव्यय संयुक्त रूप से दान कर रहे हैं।

कुल 16 किता

कुल रकम 5,007 ₹०

Handwritten signature and text:
 मर्यादा
 मर्यादा
 मर्यादा
 मर्यादा

Ambalika Welfare Foundation

Handwritten signature
 Chairman

Ambalika Welfare Foundation

Handwritten signature
 Vice Chairperson

आदर्श पोस्टकार, लखनऊ
 दिनांक १४/७
 पुराना लखनऊ
 पता - काशीबाग

कलकत्ता पोस्टकार

दिनांक १४/७

पुराना लखनऊ

कलकत्ता

(१४/७)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

398905

(11)

दान वाली भूमि के सम्पूर्ण गाटे एक दूसरे से मिले हुए हैं और इन गाटों में लाल लाइन से दर्शाया गया है इसलिए सभी गाटों की सीमाएँ स्पष्ट हैं।

चौहद्दी

पूरुब : जनपदीय मार्ग मोहनलालगंज - मीरावां
 पश्चिम : गाटा सं० 1202 व 1203 आदि
 उत्तर : अहमदखेड़ा मीरावां लिंक मार्ग
 दक्षिण : गाटा सं० 1210 , व 1204 आदि



Ambalika Welfare Foundation

[Signature]
 Chairman

[Signature]

*नया लोडिंग
 अहमदखेड़ा पोस्टल
 नर्सिंग*

[Signature]

Ambalika Welfare Foundation

[Signature]
 Vice Chairperson

कार्य रोकायत, लखनऊ

दिनांक 1/12
मुख्य अधिकारी कार्यालय
नाम श्री श्री 11 नं 11
पता

नमो भगवते वासुदेवाय

श्री श्री 11 नं 11

मुख्य अधिकारी

लखनऊ



06AA 354883

(12)

दिनांक- 2.9.2007

गवाह नं० 1 *Ranajit Singh*
for
Uchhal Singh Lko



हो प्रथम पक्ष

1. *[illegible]*
2. *[illegible]*
3. *[illegible]*
4. *[illegible]*
5. *[illegible]*

गवाह नं० 2 : *श्री अमलिका अश्रम*
 पता *श्री अमलिका अश्रम* *एटलिका*

श्री अमलिका अश्रम Ambalika Welfare Foundation Ambalika Welfare Foundation
 एटलिका

हो द्वितीय पक्ष / दानग्रहीता



रमजित
 Vice Chairperson

[Signature]
 Chairma

टाईपकर्ता

[Signature]
 राजकुमार

सचिवा कर्ता

[Signature]
 (आर० जी० त्रिपाठी)
 एडवोकेट



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, written in a non-Latin script.



Handwritten signature and text in the bottom left corner, including a stylized signature and some illegible text.

Handwritten text in the bottom left area, possibly a name or title, written in a non-Latin script.

Handwritten text in the bottom center area, including a signature and some illegible text.

Ambalika Welfare Foundation

Chairman

Ambalika Welfare Foundation

Handwritten signature and text in the bottom right corner, including a signature and the title "Vice Chairperson".

रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32 - ए, के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/बिक्रेता का नाम व पता: श्री. बका मिश्रा सी. प्रवेश चन्द्र मिश्रा
कम. 353 सी. 2, गिर आर. 2, बल्लभ पता, 302, गांव, जे. निजोरा
28-10-2020
 बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



(एकिके द्वारा दिये अंगुलियों के चिन्ह :-)



बिक्रेता/बेता का नाम व पता: श्री. बका मिश्रा सी. प्रवेश चन्द्र मिश्रा
कम. 353 सी. 2, गिर आर. 2, बल्लभ पता, 302, गांव, जे. निजोरा
28-10-2020
 बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



(एकिके द्वारा दिये अंगुलियों के चिन्ह :-)



बिक्रेता/बेता के हस्ताक्षर


श्री. बका मिश्रा




रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32 - ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता: श्रीमती दीक्षिता परानी सुधीर प्रीतिर कि. एम. 12 अचलगाँव
प्रखण्ड के तहसील फता इलाक़ा के पो निगोरी 50 पोस्ट अचलगाँव 4048

बायें हाथ की अंगुठियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुठियों के चिन्ह :-




विक्रेता/केता का नाम व पता: श्रीमती दीक्षिता परानी सुधीर प्रीतिर कि. एम. 12 अचलगाँव
प्रखण्ड के तहसील फता इलाक़ा के पो निगोरी 50 पोस्ट अचलगाँव

बायें हाथ के अंगुठियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुठियों के चिन्ह :-



original विक्रेता/केता के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32 - ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता: आम्बिका वेलफेयर फुन्डेशन, सी.एच.ओ. भिन्न, जिला, प्रतापगढ़
जिला, प्रतापगढ़, जिला, प्रतापगढ़, जिला, प्रतापगढ़

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



(पारिजे हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




Signature

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/केता के हस्ताक्षर

विक्रेता/केता का नाम व पता: आम्बिका वेलफेयर फुन्डेशन, सी.एच.ओ. भिन्न, जिला, प्रतापगढ़
जिला, प्रतापगढ़, जिला, प्रतापगढ़, जिला, प्रतापगढ़

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



(पारिजे हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



Ambalika Welfare Foundation

विक्रेता/केता के हस्ताक्षर

Signature
Chairman

**रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32 - ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स**

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता: आम्बालिका वेलफेयर फाउण्डेशन, श्रीमती रमेशा देवी पत्नी, पुरोयान, मीरठ
Dist. M. P. मिर्जापुर, ई. ए. 201330

बायें हाथ की अंगुलियों के चिह्न :-



(सहीसे हाथ में अंगुलियों को रिकॉर्ड :-




Ambalika Welfare Foundation
प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता: रमेशा देवी
Vtce Chairperson

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न :-



(सहीसे हाथ में अंगुलियों को रिकॉर्ड :-




विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

श्री. महाशय्या के पु. - १९ टाया के ००१ - महाशय्या के महाशय्या
 महाशय्या के महाशय्या

.....

.....



.....

 Vice Chairman


.....
 02/08/9
 238
 352
 पर परीक्षित किया गया।

.....
 1401

.....
 24/8/9
 पर निवेदन माहवाचार्य
 महाशय्या




4
7.00



103
1-11-67

नकल आदेश दिनांक 1/11/67 - भा.प्र.सं. 103
उपविभागाध्यक्ष श्री मोहन लाल शर्मा का व्यक्ति
बाक सं. 0-04/01/67 बाक 143 ज.वि.अ.
ग्राम - कुत (गो.प. वडली) मोहन लाल शर्मा
व्यक्ति अम्बालिका केलकेपा काउन्सिल
द्वारा बनाया गया

नकल सं. 103 (पो. सं. अम्बालिका)



न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी मोहनलालगंज लखनऊ

वाद संख्या 04/07-08

धारा 143 ज०वि०अ०

ग्राम उत्तरगांव

अम्बालिका वेलफेयर फाउन्डेशन ट्रस्ट

बनाम

सरकार

निर्णय

प्रस्तुत प्रा०पत्र अम्बालिका वेलफेयर फाउन्डेशन ट्रस्ट कार्यालय अम्बालिका बिल्डिंग सुभाषमार्ग चारबाग लखनऊ द्वारा ट्रस्टी चैयरमैन वृजेश चन्द्र मिश्र पुत्र स्व० वी०एन० मिश्र व ट्रस्टी वाइस चैयरमैन श्रीमती रमा मिश्रा पत्नी वृजेश चन्द्र मिश्र निवासी 11 धिर्मैया रोड कैंपट लखनऊ की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम उत्तरगांव की गाटा संख्या 1211/0.076, 1219/0.708, 1220/0.177, 1221/0.063, 1222/0.253, 1223/0.177, 1279/0.407, 1289/0.291, 1290/0.114, 1291/0.063, 1212/0.022, 1281/0.202, 1284/0.215, 1285/1.417, 1280/0.215, 1287/0.645 कुल 16 किता रकबा 5.007 हे० दान द्वारा प्राप्त किया है। ट्रस्ट शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक उत्थान सम्बन्धी कार्यों के लिए भवन निर्माण किया जा रहा है। नविष्य में कृषि के उपयोग बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन में प्रयुक्त नहीं होगी। उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित करने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र की जांच तहसीलदार मोहनलालगंज से करायी गयी।

तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 17-10-07 मय नजरी नक्शा, खतौनी, सी०एच० 41 व सी०एच० 45 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है। आख्या के अनुसार ग्राम उत्तरगांव के फसली तन् 1412 से 1417 खाता संख्या 356 की गाटा संख्या 1211/0.076, खाता संख्या 411 1219/0.708, 1220/0.177, 1221/0.063, 1222/0.253, 1223/0.177, 1279/0.407, 1290/0.114, 1291/0.063, खाता संख्या 412 की गाटा संख्या 1289/0.291, खाता संख्या-8 की गाटा संख्या-1212/0.022, 1280/0.215, खाता संख्या 12 की गाटा संख्या-1281/0.202, 1284/0.215 खाता संख्या 453 की गाटा संख्या- 1285/1.417, खाता संख्या 9 की गाटा संख्या- 1287/0.645 कुल 16 किता रकबा 5.007 हे० मालगुजारी रू० 125.15 में बाउण्डीवाल बना ली गयी है। अन्य निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। इस भूमि का प्रयोग अब कृषिक नहीं रह गया है। इस भूमि का प्रयोग अब व्यवसायिक हो गया है। उपरोक्त भूमि को ज०वि०अ० की धारा 143 के तहत अकृषिक/ व्यवसायिक घोषित किये जाने की सिस्तुति की गयी है।

तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 17-10-07 के आधार पर वाद दर्ज रजिस्टर करके पक्षों को नोटिस जारी की गयी। नोटिस बाद तामीला शामिल मिसिल है। वादी के अधिवक्ता उपस्थित आये। विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। मुकदमें में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आयी। तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या के साथ नजरी नक्शा, सी०एच० 41 व 45 की प्रतिलिपि मय नजरी नक्शा संलग्न किया गया है। आख्या के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर निर्माण कार्य किया गया है। अतः धारा 143 ज०वि०अ० के

अन्तर्गत उक्त भूमि व्यवसायिक प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

अतः तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 17-10-07 के आधार पर ग्राम उत्तरगांव की खतौनी फसली सन् 1412 से 1417 के खाता संख्या 356 की गाटा संख्या 1211/0.076, खाता संख्या 411 की गाटा संख्या 1219/0.708, 1220/0.177, 1221/0.063, 1222/0.253, 1223/0.177, 1279/0.407, 1290/0.114, 1291/0.063, खाता संख्या 412 की गाटा संख्या 1289/0.291, खाता संख्या-8 की गाटा संख्या- 1212/0.022, 1280/0.215, खाता संख्या 12 की गाटा संख्या- 1281/0.202, 1284/0.215, खाता संख्या 453 की गाटा संख्या- 1285/1.417, खाता संख्या 9 की गाटा संख्या- 1287/0.645 कुल 16 कित्ता रकबा 5.007 हे० नालगुजारी रू० 125.15 पैसे को व्यवसायिक प्रयोजन में प्रयुक्त होने के कारण अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो। निर्णय की एक प्रति जिला निबन्धक लखनऊ के माध्यम से उपनिबन्धक मोहनलालगंज लखनऊ को प्रेषित की जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

दिनांक 01-11-2007

(सुभान्त कुमार शुक्ला)
असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी
मोहनलालगंज लखनऊ

दिनांक 01-11-2007
दिनांक 01-11-2007
दिनांक 01-11-2007
दिनांक 01-11-2007
दिनांक 01-11-2007
दिनांक 01-11-2007
दिनांक 01-11-2007
दिनांक 01-11-2007
दिनांक 01-11-2007
दिनांक 01-11-2007

सहायक अभियन्ता

दिनांक

सहायक अभियन्ता

सुभान्त कुमार शुक्ला, असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, मोहनलालगंज लखनऊ

ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ : 39030700669 ಸಂಖ್ಯೆ : 1412-1417 ಸಂಖ್ಯೆ : 1

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಗ	ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರಣೆ	ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು
1	1-ಎ	1415-ಎ/ಎಂ	1415-ಎ/ಎಂ	1200	0.2910
2	1-ಬಿ	1415-ಬಿ/ಬಿ	1415-ಬಿ/ಬಿ	1357	0.4180
3	1-ಸಿ	1415-ಸಿ/ಸಿ	1415-ಸಿ/ಸಿ	1406	0.6770
4	1-ಡಿ	1415-ಡಿ/ಡಿ	1415-ಡಿ/ಡಿ	1414	0.5520

ಒಟ್ಟು : 1415-ಎ/ಎಂ 1200 0.2910
 1415-ಬಿ/ಬಿ 1357 0.4180
 1415-ಸಿ/ಸಿ 1406 0.6770
 1415-ಡಿ/ಡಿ 1414 0.5520

1415-ಎ/ಎಂ ಮತ್ತು 1415-ಬಿ/ಬಿ
 1415-ಸಿ/ಸಿ ಮತ್ತು 1415-ಡಿ/ಡಿ
 1415-ಎ/ಎಂ ಮತ್ತು 1415-ಬಿ/ಬಿ
 1415-ಸಿ/ಸಿ ಮತ್ತು 1415-ಡಿ/ಡಿ
 1415-ಎ/ಎಂ ಮತ್ತು 1415-ಬಿ/ಬಿ
 1415-ಸಿ/ಸಿ ಮತ್ತು 1415-ಡಿ/ಡಿ



ક્રમ : 39030700669

આજના તારીખ : ૨૦૧૭/૦૮/૦૮

પાનાં નંબર : ૧

સ્થાન : સુરત

વહીવટી ક્રમ : 1412-1417

ક્રમ	વસ્તુનું નામ	ફાઇલ / ક્રમ / મિલકતનું નામ	લગભગ મૂલ્ય	વહીવટી અધિકારીનું નામ	મુદત કે સમય	તબક્કો	વસ્તુનું વર્ગ	વસ્તુનું સ્થાન	વસ્તુનું સ્થાન (ક.ક.)
------	--------------	----------------------------	------------	-----------------------	-------------	--------	---------------	----------------	-----------------------

1 2 3 4 5 6 7-12 13

ક્રમ : 1 ના સ્થાન પર સુરત સુરત સુરત

0003 સુરત સુરત

1415/૧૬	સુરત સુરત	1280	0.2150
1415/૧૭	સુરત સુરત	1212	0.0220
1415/૧૮	સુરત સુરત	1212	0.1370
1415/૧૯	સુરત સુરત	2300	0.0820
1415/૨૦	સુરત સુરત	2190	0.0820
1415/૨૧	સુરત સુરત	2901	0.0820

કુલ મૂલ્ય : 6-૧૧/૦૮ 0.6200

1415/૧૬/સુરત સુરત સુરત
 1415/૧૭/સુરત સુરત 154/૧૪/૦૭-૦૮ નં.ક.
 1415/૧૮/સુરત સુરત 411 નં.ક.
 1415/૧૯/સુરત સુરત 17.10.07

1415/૨૦/સુરત સુરત સુરત
 1415/૨૧/સુરત સુરત 0.0407-08/સુરત
 1415/૨૨/સુરત સુરત 1.11.07 સુરત સુરત 156 નં.
 1415/૨૩/સુરત સુરત 11.07 સુરત સુરત 25-40



સાચી જાણ

39030700069

સાચી જાણ : સચી જાણ

સચી જાણ : 1412-1417

સચી જાણ : સચી જાણ

સચી જાણ : 1

સચી જાણ : સચી જાણ

સચી જાણ	સચી જાણ	સચી જાણ / સચી જાણ	સચી જાણ	સચી જાણ	સચી જાણ	સચી જાણ	સચી જાણ	સચી જાણ	સચી જાણ
સચી જાણ	સચી જાણ	સચી જાણ / સચી જાણ	સચી જાણ	સચી જાણ	સચી જાણ	સચી જાણ	સચી જાણ	સચી જાણ	સચી જાણ

સચી જાણ : 1-સચી જાણ સચી જાણ સચી જાણ

00000 સચી જાણ


સચી જાણ

સચી જાણ સચી જાણ

141180	1.287	0.0480
141010	1.700	0.0090
141010	1.710	0.0290
141010	1.722	0.0190
141010	1.757	0.1730

સચી જાણ : 3 સચી જાણ 0.0590

141500/ સચી જાણ સચી જાણ
 141500/ સચી જાણ સચી જાણ 154/648/07-08 સચી જાણ
 141500/ સચી જાણ સચી જાણ 41144 સચી જાણ
 141500/ સચી જાણ સચી જાણ 17.10 07
 141500/ સચી જાણ સચી જાણ સચી જાણ
 141500/ સચી જાણ સચી જાણ 04/07-08 સચી જાણ
 141500/ સચી જાણ સચી જાણ 1.11 07 સચી જાણ 356 સચી જાણ
 141500/ સચી જાણ સચી જાણ 20.25



नकल भू-चित्र
 गताम- उत्तर गौब पर. निगोह
 तह. मोहनलालगंजा जिला लखनऊ
 १५००५/१६६३६



1939
 1884
 511/07



सर्वेक्षण क्र. १३६६
 तारीख १३-६-३९
 १३-६-३९
 १३-६-३९
 १३-६-३९

1-सीमांकन
 2-प्लान
 3-लेआउट
 6-11-07

मोहनलालगंजा
 Pratar
 7/11/07

पैमाना-१६इंच=१मील



TARAASH

YOU DEFINE WE DESIGN

Architectural | Urban Planners | Interiors | 3D Visualisers | Landscape

This is to certify that Ambalika Institute of Management & Technology, Maurawan Road, Mohanlalganj, Lucknow (Uttar Pradesh) has been proposed and partially completed in our supervision and control.

The Proposed land allotted for this Institute is around 9.72 Acres and that the plot Building and Associated Structure is compliance with the AICTE norms and FAR.

Total Land Area	9.72 Acres
Total Covered Area	19367.00 S.Q.M.
FAR Achieved	0.492

Name and seal of Architect

Registration No-CA/2012/55182

Ar. Sachit Modi
CA/2012/55182

Date- 29/01/2018

LAND USE CERTIFICATE

This is to certify that Land Kharsra No 1220, 1221, 1222, 1223, 1289, 1290 & 1293 registered in the name of Mr. Brijesh Chandra Misra S/o Late B.N.Misra, Chairman/Trustee and Mrs. Rama Misra, Vice-Chairman/Trustee W/o Mr. Brijesh Chandra Misra, residence of 11-Thimmaiya Road, Cantt., Lucknow. of Ambalika Welfare Foundation Trust office, Ambalika Building Office, Subhas Marg, Charbagh, Lucknow, are situated in rural area at Gram-Tikra, Gram Panchayat Uttargaon, Maurawa Road, Mohanlalganj, Lucknow. The above land area has been declared non-agricultural as per section 143 and can be used for educational purpose.

प्रमाण के
कि 1201 नं. खसरा नं. परामा मिश्रा लक्ष्मी सेवकालय (श्री)
उपरोक्त की खसरा नं. 1218 से 1223 कसरी के खसरा
नं. 1220, 1221, 1222, 1223, 1289, 1290, व 1293 जम्मा 6.5
हेक्टेयर परामा लक्ष्मी सेवकालय (श्री) के लिये
नियोजित किया गया है।
1973/16
15/3/16

15/3/16
15/3/16
15/3/16

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी मोहनलालगंज लखनऊ

वाद संख्या 04/07-08

धारा 143 ज०वि०अ०

ग्राम उत्तरगांव

अम्बालिका वेलफेयर फाउन्डेशन ट्रस्ट

बनाम

सरकार

निर्णय

प्रस्तुत प्रारम्भ अम्बालिका वेलफेयर फाउन्डेशन ट्रस्ट कार्यालय अम्बालिका विल्डिंग सुभाषमार्ग चारबाग लखनऊ द्वारा ट्रस्टी चैवरमैन वृजेश चन्द्र मिश्र पुत्र स्व० वी०एन० मिश्र व ट्रस्टी वाइस चैवरमैन श्रीमती रमा मिश्रा पत्नी वृजेश चन्द्र मिश्र निवासी 11 थिनेया रोड कैंपट लखनऊ की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम उत्तरगांव की गाटा संख्या 1211/0.076, 1219/0.708, 1220/0.177, 1221/0.063, 1222/0.253, 1223/0.177, 1279/0.407, 1289/0.291, 1290/0.114, 1291/0.063, 1212/0.022, 1281/0.202, 1284/0.215, 1285/1.417, 1280/0.215, 1287/0.645 कुल 16 कित्ता रकबा 5.007 हे० वान द्वारा प्राप्त किया है। ट्रस्ट शिक्षा स्वास्थ एवं सामाजिक उत्थान सम्बन्धी कार्यों के लिए भवन निर्माण किया जा रहा है। भविष्य में कृषि के उपयोग बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन में प्रयुक्त नहीं होगी। उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित करने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र भी जांच सहस्रीलदार मोहनलालगंज से करायी गयी।

सहस्रीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 17-10-07 मय नजरी नक्शा, खतौनी, सी०एच० 41 व सी०एच० 45 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है। आख्या के अनुसार ग्राम उत्तरगांव के फसली सन् 1412 से 1417 खाता संख्या 358 की संख्या 1211/0.076, खाता संख्या 411, 1219/0.708, 1220/0.177, 1221/0.063, 1222/0.253, 1223/0.177, 1279/0.407, 1290/0.114, 1291/0.063, खाता संख्या 412 की गाटा संख्या 1289/0.291, खाता संख्या-8 की गाटा संख्या- 1212/0.022, 1280/0.215, खाता संख्या 12 की गाटा संख्या-1281/0.202, 1284/0.215, खाता संख्या 453 की गाटा संख्या- 1285/1.417, खाता संख्या 9 की गाटा संख्या- 1287/0.645 कुल 16 कित्ता रकबा 5.007 हे० मालगुजारी रू० 105.15 में बाउण्ड्रीवाल बना ली गयी है। अन्य निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। इस भूमि का प्रयोग अब कृषिक नहीं रह गया है। इस भूमि का प्रयोग अब व्यवसायिक हो गया है। उपरोक्त भूमि को ज०वि०अ० की धारा 143 के तहत अकृषिक/ व्यवसायिक घोषित किये जाने की सिन्धुति की गयी है।

सहस्रीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 17-10-07 के आधार पर वाद दर्ज रजिस्टर करके नुकी को नोटिस जारी की गयी। नोटिस बाद तामीला शमित मिलित है। वादी के अधिवक्ता उपस्थित आए। विद्वान अधिवक्ता की रहस को सुना तथा पत्रविली का सम्यक अवलोकन किया गया। मुकदमे में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आयी। सहस्रीलदार मोहनलालगंज की आख्या के साथ नजरी नक्शा सी०एच० 41 व 45 की प्रतिलिपि मय नजरी नक्शा संलग्न किया गया है। आख्या के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर निर्माण कार्य किया गया है। अतः धारा 143 ज०वि०अ० के

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी / उपजिलाधिकारी नौहनतालगाँव
लखनऊ

वाद संख्या 55/2009-10

धारा 143 ज०वि०अ०

ग्राम उत्तरगाँव

अम्बालिका वेलफेयर फाउण्डेशन ट्रस्ट
बनाम

उ०प्र० सरकार

निर्णय

उक्त वाद की कार्यवाही अम्बालिका वेलफेयर फाउण्डेशन ट्रस्ट कार्यालय अम्बालिका बिल्डिंग सुभाष मार्ग धारवाग लखनऊ द्वारा ट्रस्टी प्रेमचरमन ब्रजेश चन्द मिश्र पुत्र स्व० वी०एन० मिश्र निवासी 11थिमैया रोड कैंन्ट लखनऊ की ओर से प्रस्तुत वादपत्र पर प्रारम्भ की गयी। जिसमें उल्लिखित किया गया कि ग्राम उत्तरगाँव परगना निगोहा तहसील नौहनतालगाँव लखनऊ की गाँटा संख्या 1218 रकबा 0.137 हे० व 1293 रकबा 1.930 हे० वादपत्र द्वारा प्राप्त किया है। वादी की ट्रस्ट द्वारा कृषि कार्य उक्त भूमि पर दान प्राप्त के परभाव नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि पर बागवानी कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा फसल कृषि कार्य में प्रयोग नहीं किया जाएगा। भूमि से मिली हुई व्यवसायिक भूमि है। इसलिये उक्त भूमि को रजिस्ट्री में अधिक मूल्यांकन पर स्टैम्प अदा किया गया है। उक्त भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि धारा 143 ज०वि०अ० के अन्तर्गत अकृषिक/व्यवसायिक घोषित करने योग्य है।

प्रस्तुत वादपत्र की जाँच तहसीलदार नौहनतालगाँव से करायी गयी। जाँच आख्या दिनांक 21-8-10 में उल्लेख किया गया है कि गाँटा संख्या 1293/1.930, 1218/0.137 पर कृषि नहीं की जा रही है। बल्कि गाँटा संख्या 1293/1.930 स्कूल की परकी इमारत व बाउण्ड्रीवाल बनी है। 1218/0.137 पर कृषि कार्य नहीं की जा रही है। कोई विवाद किसी न्यायालय में विचारार्थित नहीं है। भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। ग्राम उत्तरगाँव लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत नहीं है। कोई चकनाग घामरवा भूमि बाउण्ड्रीवाल में शामिल नहीं है। जोत चकबंदी आकार पत्र 43, 45 की प्रति संज्ञान है। संकनणीय भूमिधरी की भूमि नहीं है। पट्टे की नहीं है। क्लाम संलग्न है। सीमा सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है। निर्माण स्वार्थी रद्द भवता है। कोई राजस्व बलाया नहीं है। गाँटा संख्या 1293/1.930, 1218/0.137 हे० मालगुजारी 40.00 वार्षिक को अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

कार्ड दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षों को नोटिस जारी की गयी। जो बाद तामीला शामिल मिसिल है। किसी पक्ष के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

मेरे द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। ग्राम उत्तरगांव की खतोनी गाटा संख्या 1293/1930, 1218/0.137 हे० पर बादी का नाम संकमणीय भूमिधर अंकित है। किसी न्यायालय में उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद विद्यमान नहीं है। भूमि पर स्थायी व फक्का निर्माण है। भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। भूमि अकृषिक रूप में प्रयोग की जा रही है।

अतः तहसीलदार मोहनलालगंज की जांच आख्या के अनुसार ग्राम उत्तरगांव की गाटा संख्या 1293/1930, 1218/0.137 हे० मालगुजारी 40.00 पैसे वार्षिक को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।



आदेश

अतः तहसीलदार मोहनलालगंज की जांच आख्या दिनांक 21-6-10 के अनुसार ग्राम उत्तरगांव की गाटा संख्या 1293/1930, 1218/0.137 हे० मालगुजारी 40.00 पैसे वार्षिक को अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति धारा 145 उपप्रमाणिकोअ० के अन्तर्गत निःशुल्क पंजीकरण हेतु उपनिबन्धक मोहनलालगंज को भेजी जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली संघित अभिलेखगार हो।

817/10
08/7/10
20/7/10
13/10
जाये

(मुनील कुमार चौधरी)
अतिरिक्त प्र०श्रे० / उपजिलाधिकारी
मोहनलालगंज लखनऊ

ATTESTED
Aadesh Kumar Maurya
Adv. & Notary
Mohan Lal Gangaj

पंजीकृत पत्रिका
दिनांक

पत्र क्रमांक : 390310700669

पत्र क्रमांक : 390310700669

दिनांक : 14/12-1417

पति / पत्नी /
पुत्र / पुत्री

पत्नी

विवरण :
पति व पत्नी
द्वारा साझा
संपत्ति

विवरण :
पति व पत्नी
द्वारा साझा
संपत्ति

विवरण :
पति व पत्नी
द्वारा साझा
संपत्ति

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

पति

ATTESTED

Aradesh Kumar Maurya
Adv & Notary
Reg. No. 31123/09



उद्धरण खसोती

संशोधन : संशोधन

संशोधन संख्या : 19153-0700669

संशोधन संख्या : 1412-1417

क्र.सं.	विवरण	प्रमाण	मूल्य	कुल मूल्य
1	संशोधन	1412-1417	14054	14054
2	संशोधन	1412-1417	14056	14056

13

संशोधन संख्या : 19153-0700669

संशोधन संख्या : 1412-1417

संशोधन संख्या : 14054

संशोधन संख्या : 14056

14153/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14154/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14155/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14156/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14157/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14158/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14159/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14160/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14161/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14162/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14163/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14164/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14165/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14166/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14167/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14168/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14169/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14170/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14171/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14172/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14173/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14174/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14175/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14176/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14177/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14178/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14179/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14180/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14181/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14182/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14183/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14184/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14185/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14186/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14187/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14188/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14189/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14190/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14191/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14192/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14193/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14194/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14195/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14196/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14197/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14198/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14199/ संशोधन संख्या : 1412-1417
 14200/ संशोधन संख्या : 1412-1417

19153-0700669
 1412-1417
 14054
 14056

AMBALIKA WELFARE FOUNDATION

Ambalika Building, Subhasi Marg, Charbagh, Lucknow.
Tel.: (O) 4064294/95/96, Fax : 0522 - 2462665
e-mail : ambalikawelfare@gmail.com

NT/RI/21

17

Dated: 14 Mar 2018

5/2/18
Tah. M. U.

Ref. AICTE/SDW2018-17/06

Tehseeldar
Mohaniai Garj (Tehsil)
Lucknow

REQUEST FOR LAND USE AND RURAL AREA CERTIFICATE

Sir,

1. It is submitted that we are applying for opening of a new institute in the name of "Ambalika Institute of Professional Studies" at Gram Tikra, Maurawan Road, Mohaniai Garj, Lucknow under the aegis of Trust, Ambalika Welfare Foundation as per the instructions of AICTE (All India Council for Technical Education) Approval Processing Handbook 2016-17.

2. Mr. Brijesh Chandra Misra S/o Late B.N.Misra, Chairman/Trustee and Mrs. Rama Misra, Vice-Chairman/Trustee W/o Mr. Brijesh Chandra Misra, residence of 11-Thimmaiya Road, Centt., Lucknow, of Ambalika Welfare Foundation Trust office, Ambalika Building Office, Subhas Marg, Charbagh, Lucknow, are the occupants of Land plot no. 1220, 1221, 1222, 1223, 1289, 1290 & 1293 situated at Gram-Tikra, Maurawa Road, Mohaniai Garj, Lucknow.

3. In view of above, you are requested to issue the following certificates for further submission to AICTE for approval:-

- Rural Area Certificate (format attached).
- Land Use Certificate (format attached).
- Certificate.

Thanking you.

Yours faithfully,



Secretary

Enclosures: Khathoni and Land conversion letter.

193/19
न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी मोहनलालगंज लखनऊ

बाद संख्या 04/07-08

धारा 143 ज०वि०अ०

ग्राम उत्तरगांव

अम्बालिका वेलफेयर फाउण्डेशन ट्रस्ट

बनाम

सरकार

निर्णय

प्रस्तुत प्रा०पत्र अम्बालिका वेलफेयर-फाउण्डेशन ट्रस्ट कार्यालय अम्बालिका विन्डिंग सुभाषमार्ग धारवाग लखनऊ द्वारा ट्रस्टी चैयरमैन वृजेश चन्द मिश्र पुत्र स्व० वी०एन० मिश्र व ट्रस्टी वाइस चैयरमैन श्रीमती रमा मिश्रा पत्नी वृजेश चन्द मिश्र निवासी 11 थिमैया रोड कैंपट लखनऊ की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम उत्तरगांव की गाटा संख्या 1211/0.076, 1219/0.708, 1220/0.177, 1221/0.063, 1222/0.253, 1223/0.477, 1279/0.407, 1289/0.291, 1290/0.114, 1291/0.063, 1212/0.022, 1281/0.202, 1284/0.215, 1285/1.417, 1280/0.215, 1287/0.645 कुल 18 किता रकबा 5.007 हे० दान द्वारा प्राप्त किया है। ट्रस्ट शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक उत्थान सम्बन्धी कार्यों के लिए भवन निर्माण किया जा रहा है। भविष्य में कृषि के उपयोग बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन में प्रयुक्त नहीं होगी। उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित करने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र की जांच तहसीलदार मोहनलालगंज से करायी गयी।

तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 17-10-07 मय नजरी नक्शा, खर्तानी, सी०एच० 41 व सी०एच० 45 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है। आख्या के अनुसार ग्राम उत्तरगांव के फसली सन् 1412 से 1417 खाता संख्या 356 की संख्या 1211/0.076, खाता संख्या 411 1219/0.708, 1220/0.177, 1221/0.063, 1222/0.253, 1223/0.177, 1279/0.407, 1290/0.114, 1291/0.063, खाता संख्या 412 की गाटा संख्या 1289/0.291, खाता संख्या-8 की गाटा संख्या-1212/0.022, 1280/0.215, खाता संख्या 12 की गाटा संख्या-1281/0.202, 1284/0.215, खाता संख्या 453 की गाटा संख्या-1285/1.417, खाता संख्या 9 की गाटा संख्या-1287/0.645 कुल 16 किता रकबा 5.007 हे० मालगुजारी रू० 125.15 में दाउण्डीवाल बना ली गयी है। अन्य निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। इस भूमि का प्रयोग अब कृषिक नहीं रह गया है। इस भूमि का प्रयोग अब व्यवसायिक ही गया है। उपरोक्त भूमि को ज०वि०अ० की धारा 143 के तहत अकृषिक/व्यवसायिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 17-10-07 के आधार पर बाद दर्ज रजिस्टर करके पक्षों को नोटिस जारी की गयी। नोटिस बाद तामीला शामिल मिसिल है। वादी के अधिवक्ता उपस्थित आये। विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। नुकदमें में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आयी। तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या के साथ नजरी नक्शा सी०एच० 41 व 45 की प्रतिलिपि मय नजरी नक्शा संलग्न किया गया है। आख्या के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर निर्माण कार्य किया गया है। अतः धारा 143 ज०वि०अ० के

अन्तर्गत उक्त भूमि व्यवसायिक प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

अतः तहसीलदार मोहनलालगंज की आख्या दिनांक 17-10-07 के आचार पर ग्राम उत्तरगांव की खतौनी फसली सन् 1412 से 1417 के खाता संख्या 356 की गाटा संख्या 1211/0.078, खाता संख्या 411 की गाटा संख्या 1219/0.708, 1220/0.177, 1221/0.083, 1222/0.253, 1223/0.177, 1279/0.407, 1290/0.114, 1291/0.063, खाता संख्या 412 की गाटा संख्या 1289/0.291, खाता संख्या-8 की गाटा संख्या- 1282/0.022, 1280/0.215, खाता संख्या 12 की गाटा संख्या- 1281/0.202, 1284/0.215 खाता संख्या 453 की गाटा संख्या- 1285/1.417, खाता संख्या 9 की गाटा संख्या- 1287/0.645 कुल 18 किता रकबा 5.007 हे० मालगुजारी रु० 125.15 पैसे को व्यवसायिक प्रयोजन में प्रयुक्त होने के कारण अकृषिक घोषित किया जाता है। परताना अगलदरामद जारी हो। निर्णय की एक प्रति जिला निबन्धक लखनऊ के माध्यम से उपनिबन्धक मोहनलालगंज लखनऊ को प्रेषित की जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही माजिल दफतर हो।

दिनांक 01-11-2007

11/11/07
(शुभान्त कुमार शुक्ला)
असिस्टेंट कलेक्टर प्रधान श्रेणी
मोहनलालगंज लखनऊ

11/11/07
11/11/07
11/11/07
11/11/07
11/11/07

नामिद भरी
सूचना देना
दिनांक 11/11/07

सहायक जल निरीक्षक

पदभर

सहायक जल निरीक्षक

मोहनलालगंज तहसील, लखनऊ

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी मोहनलालगंज
लखनऊ

वाद संख्या 55/2009-10

घात 143 ज०वि०अ०

ग्राम उत्तरगांव

अम्बालिका वेलफेयर फाउन्डेशन ट्रस्ट

बतान

ज०प्र० सरकार

निर्णय

उक्त वाद श्री कार्यवाही अम्बालिका वेलफेयर फाउन्डेशन ट्रस्ट कार्यालय अम्बालिका बिल्डिंग सुभाष मार्ग अरकाय लखनऊ द्वारा ट्रस्टी घोषरमिन्द ब्रजेश शन्ध निश पुत्र स्व० बी०एम० मिश्र निवासी 11धिमैया रोड जैन्ट लखनऊ को ओर से प्रस्तुत वादपत्र पर प्रारम्भ की गयी। जिसने उल्लिखित किया गया कि ग्राम उत्तरगांव परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज लखनऊ की गाटा संख्या 1218 रकबा 0.137 हे० व 1293 रकबा 1.930 हे० वादपत्र द्वारा प्राप्त किया है। वादी की ट्रस्ट द्वारा कृषि कार्य उक्त भूमि पर वान प्राप्त के पश्चात् नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि पर बागवानी कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा फसल कृषि कार्य में प्रयास नहीं किया जायेगा। भूमि से नित्य हुई व्यवसायिक भूमि है। इसलिये उक्त भूमि को रजिस्ट्री में अधिक नूतनीकरण पर स्टैम्प अदा किया गया है। उक्त भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि द्वारा 143 ज०वि०अ० के अन्तर्गत अकृषिक/व्यवसायिक घोषित करने योग्य है।

प्रस्तुत वादपत्र की जांच तहसीलदार मोहनलालगंज से करायी गयी। जोच आख्या दिनांक 21-6-10 में उल्लेख किया गया है कि गाटा संख्या 1293/1.930, 1218/0.137 पर कृषि नहीं की जा रही है। बल्कि गाटा संख्या 1293/1.930 स्कूल की पक्की इमारत व बाउण्ड्रीवाल बनी है। 1218/0.137 पर कृषि कार्य नहीं की जा रही है। कोई विवाद किसी न्यायालय में विद्यमान नहीं है। भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। ग्राम उत्तरगांव लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत नहीं है। कोई चकमार्ग धामसमा भूमि बाउण्ड्री वाल में शामिल नहीं है। जोत चकमदी आकार पत्र 41, 45 की प्रति संलग्न है। संकमणीय भूमिधरी की भूमि नहीं है। पट्टे की नहीं है। बालान संलग्न है। सीमा सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है। निर्माण स्थायी एवं पक्का है। कोई राजस्व बकाया नहीं है। गाटा संख्या 1293/1.930, 1218/0.137 हे० वानगुजारी 40.00 वार्षिक को अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

१०

(2)

बाद दर्ज रजिस्टर किया गया। जहाँ को नोटिस जारी की गयी। जो बाद तारीख शामिल मिलित है। किसी बंध को द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

मेरे द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। ग्राम उत्तरगाँव की खसीनी गाटा संख्या 1293/1.930, 1218/0.137 हे० पर बादो का नाम संकल्पणीय भूमिधर अदिता है। किसी न्यायालय में उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई बाद विचारधीन नहीं है। भूमि पर स्थायी व पक्का निर्माण है। भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। भूमि अकृषिक रूप में प्रयोग की जा रही है।

अतः तहसीलदार मोहनलालगंज की जांच आख्या के अनुसार ग्राम उत्तरगाँव की गाटा संख्या 1293/1.930, 1218/0.137 हे० मालगुजारी 40.00 पैसा वार्षिक को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार मोहनलालगंज की जांच आख्या दिनांक 21-8-10 के अनुसार ग्राम उत्तरगाँव की गाटा संख्या 1293/1.930, 1218/0.137 हे० मालगुजारी 40.00 पैसा वार्षिक को अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना अमलदरानद जारी हो। आदेश की एक प्रति धारा 145 उपप्र० ख० वि० 0310 से अन्तर्गत निशुल्क फंजीकरण हेतु उपनिषन्धक मोहनलालगंज को भेजी जाय। बाद अमलदरानद पत्रावली संघित अभिलेखागार हो।



817110
0817130
0817110
13 red
को ये
0817110

(सुनील कुमार चौधरी)
असि०कलेक्टर प्र०३१० / उपजिलाधिकारी
मोहनलालगंज लखनऊ

अज्ञात प्रतिसिद्धि
0817110

कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक 1203/नक्शा/जि0प0/2016-2017

दिनांक 31 जनवरी, 2017

आक्यूपेंसी/कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र



अम्बालिका इस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी
ग्राम-उत्तरगाव
विकास खण्ड-मोहनलालगंज
तहसील- मोहनलालगंज
जनपद लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 23.01.2017 के कम में क्षेत्रीय अवर अभियन्ता श्री सत्यप्रकाश दुबे की रिपोर्ट दिनांक 28.01.2017 के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम उत्तरगाव विकास खण्ड मोहनलालगंज, जनपद- लखनऊ में खसरा संख्या 1212, 1219, 1279, 1280, 1281, 1284, 1285, 1287, 1211, 1291 में कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ के पत्र संख्या 415/ नक्शा/कर0पि0/जि0 प0/2007- 2008 दिनांक 26 सितम्बर, 2009 द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन 19367.00 वर्गमीटर में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत लखनऊ
जिला पंचायत लखनऊ

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

प्लान/डीटी संख्या: UPFS/2023/71762/LCK/LUCKNOW/3726/CFO

दिनांक: 18-01-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **AMBIKA MISRA** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) या **Ambalika Institute of Management and Technology**, **VILL-UATTARGAUN, MAURAWA ROAD, LUCKNOW** (जहाँ - **MOHANLALGAN**), प्लॉट एरिया **67068.02 sq.mt**, कुल लॉट एरिया **11704.40** (वर्ग मीटर), जहाँ की संख्या - **1** निम्न

ब्लॉक / टावर	इत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बसमेंट की संख्या	ऊँचाई
ACADEMIC BLOCK	4	0	15.30 mt.

है। भवन का अधिभोग रिपोर्ट **AMBIKA MISRA** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निरोधन एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, एन्फटीसीईड एवं कम्प्लेसी भारतीय मानक भूमा के अंतर्गत के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी। व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **17-02-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **G. C. TRIPATHI, 8004830458** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। जब उपरोक्त भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी अडिफिकेट) एन्फटीसीईड को अधिभोग क्षेत्र **Educational** के अंतर्गत देखा तब **17-02-2023** से **18-02-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस बात के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में निम्नानुसार स्थापित सभी अधिस्थान व्यवस्थाओं का अनुपालन करते हुए स्थायीत बनाया गया। भवन में स्थापित की गयी अधिस्थान व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी धरणा के लिए मेसर्स **AMBIKA MISRA** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होने। निम्न अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का स्वीकारण निम्नलिखित समझौते के अन्तर्गत करने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त हो निरस्त मान लिया जाएगा, जिसके लिए मेसर्स **AMBIKA MISRA** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगा।

Note : अग्निशमन अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के क्रम में संसुति की जाती है।

“यह प्रमाण-पत्र आगके द्वारा प्रस्तुत अभितेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इसके अलावा बांध जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।”

हस्ताक्षर (निमित्त अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(MANGESH KUMAR)

(C8219116810264272CML2013W4K084081001)

17/02/2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 17-02-2023
स्थान : LUCKNOW



DESIGN WELL

*Consulting Civil & Structural
Engineers.*

529 Kha/113,
Khurram Nagar, Lucknow-226022
+91-9980148216
Design.well789@gmail.com

Certified that the Structural Design of the building as details given below has been designed including safety from natural hazards including Earthquake by duly qualified Graduate Civil Engineer along with degree in Structural Engineering from a recognised University.

The structure of this building is safe and stable against natural hazards confirmation to relevant different IS Codes.

Location/Address of Building

Ambalika Institute of Management and Technology

Munawan Road, Mohanlalganj, Lucknow (UP)

Particulars of Buildings Max No of Floors above

Ground G+4

DESIGN WELL
Consulting Civil & Structural
Engineers

RAM GUPTA
B.tech(Civil),M.tech(Structural)



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक:-ए०के०टी०यू०/कुस०का०/स०वि०/2023/363/20271

दिनांक: 15 September 2023

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,

AMBALIKA INSTITUTE OF MANAGEMENT &
TECHNOLOGY,LUCKNOW - 363

Lucknow , Lucknow

विषय: शैक्षिक सत्र 2023-24 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा सत्र 2023-24 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति द्वारा दिनांक 28.07.2023 को विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 2023/सोलह-1-2023-13(01)/2018 दिनांक 29 जुलाई, 2023 एवं 2046/सोलह-1-2022-13(01)/2018 दिनांक 04 अगस्त, 2023 के अनुसार मा० कार्यपरिषद की दिनांक 11.09.2023 की बैठक में प्रदत्त किये गये अनुमोदन एवं सम्बद्धता समिति द्वारा दिनांक 08.09.2023 को विचारोपरान्त की गयी संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 2464/सोलह-1-2023 दिनांक 14.09.2023 के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नलिखित विवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है, विवरण निम्नानुसार है।

Course	Branch	Intake Applied	Approved Intake by AICTE	Approved Intake by COA/PCI	Intake Approved for Affiliation
Bachelor of Technology	Biotechnology	30	30	0	30
Bachelor of Technology	Civil Engineering	30	30	0	30
Bachelor of Technology	Computer Science and Engineering	180	180	0	180
Bachelor of Technology	Computer Science And Engineering(Artificial Intelligence & Machine Learning)	60	60	0	60
Bachelor of Technology	Computer Science And Engineering(Data Science)	60	60	0	60
Bachelor of Technology	Information Technology	30	30	0	30
Bachelor of Technology	Mechanical Engineering	30	30	0	30

Signature valid

Digitally signed by: BHANU CHANDRA PAL
 Officer
 Organizational Unit: Affiliation Cell
 State: Uttar Pradesh
 Postal Code: 226031
 Serial Number: 1172726800
 Date: 2023.09.15 12:02:13+05'30
 886641300126228528512681

Course	Branch	Intake Applied	Approved Intake by AICTE	Approved Intake by COA/PCI	Intake Approved for Affiliation
Masters of Business Administration	MBA	60	60	0	60

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेशी काउंसिल आफ इण्डिया/काउंसिल आफ आर्किटेक्चर/डाIO ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रेगिग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण (यथा लागू) में दर्शायी गई कमियाँ/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- बी.टेक./एम.टेक./बी.फार्म/एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. इत्यादि पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेशी काउंसिल आफ इण्डिया/काउंसिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं ए0आई0सी0टी0ई0/पी.सी.आई./सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डाIOपी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियमावली 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित समस्त प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्थान 30 सितम्बर, 2023 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूट रचना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम: 6.15)

Signature valid

Principal
Date: 08/15/23
Page: 2/4

9. सत्र 2023-24 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।
10. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (विनियम: 6.18)
11. शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 6.25बी.)
12. लेब एवं उसके उपकरणों का सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.13)
13. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.16)
14. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य घसपा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध पथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
15. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पी0सी0आई0/सी0ओ0ए0 (यथा लागू) की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
16. फार्मसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसाय निषामक संगठन फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2023-24 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली प्रवेश की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अल्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त न होने की दशा में फार्मसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2023-24 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रबन्धाधीन सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।
17. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
18. जिन संस्थानों की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पी0सी0आई0/सी0ओ0ए0 एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तदकार्यवाही के अधीन होगी।
19. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
20. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्मित शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
20. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क **शुल्क का उचित प्रयोग** निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायेगी।
22. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि **शुल्क का उचित प्रयोग**

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश सखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

सखनऊ: दिनांक: 12-08-2023

:-कार्यालय त्प:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कर्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, कर्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम - 2255-AMBALIKA INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0। पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	30	30
2	MECHANICAL ENGINEERING	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/9-2022 टी0सी0-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थाओं को जीए के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चालित रिट याचिका संख्या 5027/2023 में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन संबद्धता निर्गम की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कर्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कर्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मातृक के अनुसूच संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, लैब उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गम शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से वसूल किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गम किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाता आवश्यक होगा। क्रीड निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु क्रीड का पूर्णनिर्धारण किया जाता है, तो क्रीड की तबीयतमें दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गम शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गम विधित्तियनों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं विदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा

परिषद्, उ०प० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ०प० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्था का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/जैसेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में सम्बन्धित उच्चतराधिकार संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्बन्धित प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/जैसेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के पुराकृत पोर्टल पर संस्था की सम्बन्धित सूचनाएं जहाँ संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साल-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला शुल्क, आसवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शक्ति रोकने के सम्बन्ध में सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को घटाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बन्धित समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियों और उपसमितियों, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाता) विनियमवली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद् की मांग पर अपने कार्यवाहियों, भवनों और फर्नीचर को परिषद् को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद् के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के अधिकार स्थायी निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साल-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० परिषद् के मातृकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बन्धित समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बन्धित शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्रा)

सचिव

पू०सं०- प्राधिप/परिषद् सन्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, AMBALIKA INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY



(अजीत कुमार मिश्रा)

सचिव

All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of Education, Govt. of India)

Newest Member: Mang Vasant Kung, New Delhi 110070 Website: www.aicte.ac.in



APPROVAL PROCESS 2023-24

Extension of Approval (EoA)

F.No: Northem/1-36266653881/2003/EoA

Date: 19 Jun 2023

To:

The Principal Secretary (Tech. Edu.)
Govt. of Uttar Pradesh,
Sector B/1/1, Lucknow-226001,
12A, Navin Bhawan,
U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2023-24

Re: Online application of the Institution submitted for Extension of Approval for the Academic Year 2023-24

Sr/Madam,

In view of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Education) Regulations, 2000 notified on 4th February 2002 and amended on 24th February 2021 and norms, standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to:

Permanent Id	1-36266653881	Application Id	1-36266653881
Name of the Institution	AMBALKA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY	Name of the Society/Trust	AMBALKA WELFARE FOUNDATION
Institution Address	GRAM TIKRA, MAURAWAN ROAD, MOHANA ALGANU, LUCKNOW, LUCKNOW, LUCKNOW, Uttar Pradesh, 227305	Society/Trust Address	AMBALKA BUILDING, 11 SUBHASH MARG, CHARBAGH, LUCKNOW, LUCKNOW, LUCKNOW, Uttar Pradesh, 226004
Institution Type	Private-Self Financing	Region	Northem
Year of Establishment	2008		

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2023-24

Level	Program	Course	Attaining Body (University /Body)	Intake Approved for 2023-23	Intake Approved for 2023-24	NR Approval Status	PN /Gilt quota/ DCI Approval Status
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	CIVIL ENGINEERING	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	60	No	No
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	MECHANICAL ENGINEERING	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	60	No	No

Level	Program	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2022-23	Intake Approved for 2023-24	NR Approval Status	PN /Guilt quota/ OOI Approval Status
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	BIO TECHNOLOGY	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	50	00	No	No
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	CIVIL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	30	20	No	No
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	180	180	No	No
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	No	No
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE)	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	0	60**	No	No
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	INFORMATION TECHNOLOGY AND ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	30	20	No	No
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	MECHANICAL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	20	No	No
POST GRADUATE	MANAGEMENT	MBA	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	No	No

** Approved New Course(s)

Course(s) Applied for Closure by the Institution for the Academic Year 2023-24

Level	Program	Course	Affiliating Body (Univ/Body)	Course Closure Status	Intake Approved for 2023-24
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGS	Uttar Pradesh Board of Technical	Approved	0

			Education, Lucknow		
POST GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	AUTOMATION AND ROBOTICS	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	Approved	0
POST GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	CAD/CAM	Dr. A.P.J Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	Approved	0

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2023-24 (Appendix 5)

Important Instructions

1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2019-20 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC(NCL)/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase its actual permitted strength over a maximum period of two years.
2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time are now amalgamated as total intake and shall have to fill all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2023-24 for the Total Approved intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accredited/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty-Student ratio as specified in the Approval Process Handbook.
3. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation, Establishment of Committee for SC/ ST, Establishment of Internal Committee (IC), Establishment of Online Grievance Redressal Mechanism, Barrier Free/ Safe Environment for disabled and elderly persons, Fire and Safety Certificate should be maintained as per the provisions made in Approval Process Handbook and AICTE Regulation notified from time to time.
4. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council/ General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.
5. As per the AICTE Notification dated 29.01.2014 and amended thereof, it shall be mandatory for each Technical Education Institution, University Department and Institution Deemed to be University offering Technical Education to get accreditation (NSA) for at least 60% of the eligible courses in the next ONE (1)-Years' time, otherwise EoA for the subsequent Academic Year (A.Y. 2024-25) shall not be issued by the Council.
6. Deemed to be University/ Institutions Deemed to be Universities (Running Technical Education Programmes), it is mandatory to have AICTE approval from the Academic Year 2018-19 in compliance of the Hon'ble Supreme Court Order dated 03-11-2017 passed in CA No.17889-17870/2017.

Prof. Rajive Kumar
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. **The Director Of Technical Education****, Uttar Pradesh
2. **The Registrar****,
Uttar Pradesh Board Of Technical Education, Lucknow
3. **The Principal / Director**,
AMBALIKA INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
Gram Tikra, Mausam Road, Mohanlalganj, Lucknow,
Lucknow, Lucknow,
Uttar Pradesh 227308
4. **The Secretary / Chairman**,
AMBALIKA BUILDING, 11 SUBHASH MARG, CHARBAGH LUCKNOW
LUCKNOW,LUCKNOW
Uttar Pradesh 226004
5. **Guard File(AICTE)**

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org>

* If you wish to Approve after copy will not be communicated through Post/E-mail. However, a consolidated list of Approver institutions/bulk may be downloaded from the respective right side.

This is a computer generated Statement. No signature Required